आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC)

NSTFDC Bridge Loan

NST FDC पात्र अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को अल्पकालिक ब्रिज लोन देता है, जो अपनी आय बढ़ाने वाली परियोजना के लिए किसी दूसरे स्रोत से ऋण या अनुदान जुटा रहे हैं।

क्या मिल सकता है

एक साल तक का अल्पकालिक ऋण, जो दूसरा वित्त आने तक या पुरानी देनदारी निपटाने के दौरान तुरंत नकद उपलब्ध कराता है। यह आय देने वाली परियोजनाओं के लिए है, इसमें NST FDC के टर्म लोन जितना ब्याज लगता है और आमतौर पर संपत्ति या माल जैसी जमानत रखनी होती है।

किसके लिए है

अनुसूचित जनजाति के उद्यमी, जिनके परिवार की सालाना आय 3,00,000 रुपये तक है और जो आय देने वाली परियोजना के लिए दूसरे स्रोत से ऋण या अनुदान जुटा रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए। समूह में हर सदस्य इसी समुदाय का हो।
- परिवार की सालाना आय 3,00,000 रुपये से ज़्यादा न हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी।
- यह ऋण अल्पकालिक सहारे के रूप में है, जब तक परियोजना के लिए दूसरा ऋण, अनुदान या स्थायी वित्त जुट रहा हो या कोई मौजूदा देनदारी चुकाई जा रही हो।
- सहायता केवल उन पात्र लोगों को मिलती है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं जहाँ उनकी जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है।

आवेदन कैसे करें

1. अपने राज्य में NST FDC के साथ काम करने वाली राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी (SCA) का ज़िला कार्यालय पता करें।
2. योजना और अपनी परियोजना के बारे में मार्गदर्शन के लिए उस कार्यालय में जाएँ।
3. ऋण का आवेदन उसी कार्यालय के माध्यम से जमा करें।
4. NST FDC की वेबसाइट पर इन एजेंसियों की राज्यवार सूची दी गई है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://nstfdc.tribal.gov.in/frm_bridge_loan.aspx
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nstfdc-bridge-loan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।